

130



न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वा लियर केम्प सागर

CP 201

क्रि.सं. - 5802/2018/सागर/अ.स.

- (1) लक्ष्मीनारायण सोनी
- (2) श्रीमति कुसुम वाई पति लक्ष्मीनारायण
- (3) राजेन्द्र सोनी
- (4) महेन्द्र सोनी
- (5) जितेन्द्र सोनी
- (6) कृष्ण कुमार सोनी

क्रं 03 से 6 के पिता लक्ष्मीनारायण सोनी  
 (7) आदित्य नावा० वली संतोष सोनी  
 समी निवासी चकराघाट वाई सागर म०प्र०

-- आवेदकगण

॥ विद्वा ॥

- (1) म०प्र० शासन
- (2) आप त्तिवेस्ता- धनश्याम वगेरह  
 निवासी- ग्राम वासी ग्राम बुखारा तह०  
 वीना जिला सागर म०प्र०

-- अनावेदक

पुनरीक्षण आवेदनमत्र अंतर्गत धारा 50 मू०रा०सं० 1959

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :-

← आवेदकगण मान० अधिनस्थ नायव तहसीलदार मानगड तहसील वीना जिला सागर , तहसीलदार, वीना द्वारा रा०प्र० क्रं० 130-अ/6 वर्ष 11-12 प रिवर्तित फ० क्रं० 247-अ/6 वर्ष 17-18 में पारित आदेश दि० 3-7-18 से परिवेदित होकर यह पुनरीक्षण आवेदनमत्र मान० न्याया० के सम्पन्न प्रस्तुत कर प्रार्थी है :-

3  
 सागर द्वारा ग्राम बुखारा प०ह० नं०-39 में स्थित

B-O-R.  
01 SEP 2018

श्री ...  
 सागर द्वारा प्रस्तुत.  
 सागर (म. प्र.)  
 सागर

170  
13/9/18

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- निगरानी-5802 / 2018 / सागर / भू.रा.

लक्ष्मीनारायण सोनी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22-08-2019	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह निगरानी नायब तहसीलदार मानगढ़, तहसील बीना, जिला-सागर के प्रकरण क्रमांक 130/अ-6/2011-12 परिवर्तित प्रकरण क्रमांक 247/अ-6/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 03-07-2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-9-2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 09-10-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(जे०के० जैन) सदस्य</p>